न्यायालय उपखंड अधिकारी निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ (राज.)

पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 17 / 2023
जीसीएमएस न0 2023 / 28

1. श्री रामनारायण पिता धीसुलालजी जाति जाट आयु वयस्क निवासी मांगरोल तह निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0
2. लक्ष्मण पिता धीसुलालजी जाति जाट आयु वयस्क निवासी मांगरोल तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0
3. रामसुखीबाई बेवा धीसुलालजी जाति जाट आयु वयस्क निवासी मांगरोल तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ़ राज0

.... प्रार्थीगण

/ / बनाम / /

1. मैसर्स लाफार्ज इण्डिया प्रायवेट लिमी० भावलीया जरिये मेनेजिंग डायरेक्टर लाफार्ज इण्डिया प्रायवेट लिमी० भावलीया तह० निम्बाहेडा
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

...... विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थित :– 1– श्री नरेन्द्र कुमार वैष्णव – अधिवक्ता प्रार्थीगण
2– ऋषभ सेठीया – अधिवक्ता अप्रार्थी

:: निर्णय ::

दिनांक 24.05.2023

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के खातेदारी कब्जे काश्त की आराजीयात वाकै मौजा मांगरोल पह० मांगरोल तह० निम्बाहेडा की आराजी जिसके नये खाता संख्या 662 के आराजी नं0 2194 रकबा 0.1400 हैक्टेयर भूमि प्रार्थीगण के खातेदारी में दर्ज चली आ रही है, जिसके पुराने साबिक आराजी नं0 1879 / 341 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा स्थित हैं। साक्ष्य में नकल जमाबंदी व मिलान क्षैत्रफल पेश है।
2. यह कि वादग्रस्त आराजीयात [illegible] जिसके पुराने आराजी नं० 1879 / 341 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा थे उक्त पु[illegible] आ[illegible]यात 1 बीघा 2 बिस्वा मे से 11 बिस्वा भूमि प्रार्थीगण के आपसी सहमति बटवारे [illegible] की खातेदारी में दर्ज हुई तथा शेष 11 बिस्वा भूमि डालचंद [illegible] निवासी मांगरोल [illegible] अलग अलग खातेदारी में दर्ज हुई और उक्त दोनों [illegible] आराजीयात विपक्षी [illegible] जरिये बिकाव विपक्षी नं01 के नाम नामांतरण संख्या 2713 व नामांतरण संख्या 2714 दिनांक 05 / 08 / 2010 से विपक्ष न० 1 के नाम खातेदारी में दर्ज चली आ रही थी जो संवत् 2058 से 2061 की जमाबंदी पर दर्ज हुई तथा पुराने आराजी नं0 1882 / 343 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा भूमि जरिये आपसी सहमति बटवारे से प्रार्थीगण के नाम खातेदारी में दर्ज चली आ रही थी, परन्तु वर्तमान सेटलमेन्ट के बाद राजस्व कर्मचारीयों

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:03:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

की गलती की वजह से सेटलमेन्ट के दौरान प्रार्थीगण के नाम पर आराजी नं० 2194 दर्ज कर दी गई जबकि उक्त आराजीयात प्रार्थीगण द्वारा विक्रय कर विपक्षी नं० 1 के नाम दर्ज करा दी थी उक्त आराजी नं० 2194 विपक्षी नं01 के नाम दर्ज होनी चाहिए थी, तथा नये आराजी नं0 2152 जो विपक्षी नं01 के नाम दर्ज चली आ रही है उक्त आराजी प्रार्थीगण के नाम राजस्व रेकार्ड में दर्ज होना चाहिए जो राजस्व कर्मचारीयों की गलती की वजह से खातेदारी में प्रार्थीगण के नाम दर्ज नहीं कर विपक्षी नं० 1 के नाम दर्ज कर दी गई, जबकि मौके पर आराजी नं0 2152 के सम्पूर्ण रकबे पर प्रार्थीगण का शांतिपूर्ण तरीके से आपसी सहमति से बटवारे अनुसार कब्जा चला आ रहा है, तथा आराजी नं0 2194 पर विपक्षी नं० 1 का कब्जा चला आ रहा है। इसलिए प्रार्थीगण नवीन राजस्व रेकार्ड में,पुराने राजस्व रेकार्ड में दर्ज अनुसार प्रार्थीगण का नाम राजस्व रेकार्ड एवं राजस्व नक्षा ट्रेस में दर्ज कर, तरमीम कर , इन्द्राज दुरूस्ती किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया, पत्रावली में श्रीमान अतिरिक्त संभागीय आयुक्त उदयपुर के निर्णय दिंनाक 18.06.2021 से इस न्यायालय की प्रकरण संख्या 78/2014 वाद निर्णय एवं डिक्री दिंनाक 10.01.2023 में आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर प्रकरण में भू–राजस्व अभिनियम पर अपेक्षित जांच कर पक्षकारो को समुचित सुनवाई का अवसर प्रदान कर प्रस्तुत दस्तावेज एवं राजस्व अभिलेख का परिक्षण कर नये से निर्णय पारित करने हेतु निर्देशित किया है। विपक्षी तहसीलदार द्वारा जवाब एवं अनुशंषा कर निवेदन किया तहसीलदार निम्बाहेड़ा से करवाई गई। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपनी रिपोर्ट मय पर्चा एवं दस्तावेज के इस कार्यालय को प्रस्तुत की। प्रार्थीगण द्वारा गत आराजी नं. 1879/341 को आपसी सहमति विभाजन के उपरोक्त विपक्षीगण सं. 1 में लाफार्ज इण्डिया प्रा. लि. को विक्रय कर दिया था जिसका अमल ना. स. 2713 व 2714 दिनांक 05.08.2010 से किया गया। प्रार्थीगण की गत प्रबन्ध की अन्य आराजी नं. 1882/343 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा आपसी सहमति बटवारे उपरोक्त प्रार्थीगणों के नाम दर्ज चली आ रही है। उक्त आराजी नं. 1879/341 के नवीन आराजी नं. 2194 को सेटलमेंट के दौरान प्रार्थीगणों के नाम दर्ज हो गई थी जबकि विक्रय अनुसार विपक्षीगण मै. लाफार्ज इण्डिया प्रा. लि. के नाम दर्ज होनी थी। जबकि आराजी नं. 1882/343 के नवीन आराजी नं. 2252 को सेटलमेंट के दौरान विपक्षीगण लाफार्ज इण्डिया प्रा. लि. के नाम दर्ज हो गई जो प्रार्थीगणों के नाम दर्ज होनी थी। अतः वर्तमान आराजी नं. 2194 मै. लाफार्ज इण्डिया प्रा. लि. के नाम व आराजी नं. 2252 को प्रार्थीगणों 1 के नाम दर्ज कर इन्द्राज दुरस्ती की कार्यवाही किया जाना उचित है।

4. हमने पत्रावली का अध्ययन किया। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। तहसीलदार द्वारा इनकी रिपोर्ट में बताया प्रार्थीगण द्वारा गत आराजी नं. 1879/341 को आपसी सहमति विभाजन के उपरोक्त विपक्षीगण सं. 1 में लाफार्ज इण्डिया प्रा. लि. को विक्रय कर दिया था जिसका अमल ना. स. 2713 व 2714 दिनांक 05.08.2010 से किया गया। प्रार्थीगण की गत प्रबन्ध की अन्य आराजी नं. 1882/343 रकबा 1 बीघा 2 बिस्वा आपसी सहमति बटवारे उपरोक्त प्रार्थीगणों के नाम दर्ज चली आ रही है। उक्त आराजी नं. 1879/341 के नवीन आराजी नं. 2194 को सेटलमेंट के दौरान प्रार्थीगणों के नाम दर्ज हो गई थी जबकि विक्रय अनुसार विपक्षीगण मै. लाफार्ज इण्डिया प्रा. लि. के नाम दर्ज होनी थी। जबकि आराजी नं. 1882/343 के नवीन आराजी नं. 2252 को सेटलमेंट के दौरान विपक्षीगण लाफार्ज इण्डिया प्रा. लि. के नाम दर्ज हो गई जो प्रार्थीगणों के नाम दर्ज होनी थी। अतः वर्तमान आराजी नं. 2194 मै. लाफार्ज इण्डिया प्रा. लि. के नाम व आराजी नं. 2252 को प्रार्थीगणों 1 के नाम दर्ज कर इन्द्राज दुरस्ती की कार्यवाही किया जाना उचित है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:03:12 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी

आदेश

5. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर तहसीलदार निम्बाहेडा को आर्देशित किया जाता है कि जमाबन्दी सम्वत् 2077–80 राजस्व ग्राम मांगरोल पटवार हल्का मांगरोल की आराजी न. 2194 रकबा 0.14 हैक्टेयर जो प्रार्थीगण श्री रामनायण, लक्ष्मण पिता घीसुलाल, रामसुखीबाई पत्नि घीसुलाल के नाम दर्ज रिकॉर्ड है को मै. लाफार्ज इण्डिया प्रा. लि. के नाम एवं आराजी नं. 2252 रकबा 0.28 हैक्टेयर जो श्री मै. लाफार्ज इण्डिया प्रा. लि. के नाम दर्ज रिकार्ड है को प्रार्थीगणों श्री रामनायण, लक्ष्मण पिता घीसुलाल, रामसुखीबाई पत्नि घीसुलाल के नाम दर्ज कर इन्द्राज दुरस्ती करने के आदेश दिये जाते है। तहसीलदार निम्बाहेडा निर्णय अनुसार अमल दरामद करे।

निर्णय आज दिनांक 24.05.2023 कैम्प कोर्ट मांगरोल लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखील दफ्तर हो।

24/5/23

(रमेश सीरवी पुनाडिया)
उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2023.09.14 17:03:12 IST
Reason: SelfAttested